

परिषद् की आगरा जोन के अन्तर्गत आगरा/हाथरस/शिकोहाबाद/मथुरा/खुर्जा की



आवंटन/नीलामी
तिथि 20.02.2014
प्रातः 10:30 बजे

आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी स्थलः
एफ-42 सिन्धु भवन, कमलानगर
आगरा : समय-10.30 बजे से

आवंटन/लॉटरी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिवत सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री होल्ड सहित) रु. लाख में (प्र.व.मी)
सिकन्दरा योजना, आगरा				
14	दु.आ.वर्ग भवन	(04 नग) 328/28, 359/14 (ओ.बी.सी. हेतु), 377/14 (एस.सी. हेतु), 569/14 (अनारक्षित)	30.15 वर्ग मी.	रु. 6.48 लाख
08	आवासीय भूखण्ड	(01 नग) 180/8	30.15 वर्ग मी.	14.560/- प्र.व.मी.
		(01 नग) 199/8	27.00 वर्ग मी.	रु. 14.560/- प्र.व.मी.
		(01 नग) 640/20/8	59.51 वर्ग मी.	रु. 14.560/- प्र.व.मी.
हाथरस योजना				
01 व 02	दु.आ.वर्ग भवन	(02 नग) (18/40) 2/133 एवं 1/374	41.32 वर्ग मी.	रु. 03.08 लाख
02	आवासीय भूखण्ड	(04 नग) 2/23, 2/24, 2/25 एवं 2/26	61.24 वर्ग मी.	रु. 6160/- प्र.व.मी.
कृष्ण विहार योजना, मथुरा				
3ए	आवासीय भूखण्ड	(01 नग) 3ए/535	24.69 वर्ग मी.	रु. 7840/- प्र.व.मी.
शिकोहाबाद योजना				
2सी	आवासीय भूखण्ड	(05 नग) 2सी/327, 2सी/492, 2सी/416, 2सी/418 एवं 2सी/493 (अनारक्षित)	24.37 वर्ग मी.	रु. 6720/- प्र.व.मी.
खुर्जा योजना संख्या-2				
03	अ.आ.व. भवन	(01 नग) 3/25	80.00 वर्ग मी.	रु. 9.89 लाख
		(01 नग) 3/40	61.24 वर्ग मी.	रु. 8.46 लाख

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियां

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिवत सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री होल्ड सहित) रु. लाख में (प्र.व.मी)
कृष्ण विहार योजना, मथुरा				
04बी	आवासीय भूखण्ड	(01 नग) 4बी/121	92.40 वर्ग मी.	रु. 7840/- प्र.व.मी.
सिकन्दरा योजना, आगरा				
04	अल्प आय वर्ग भवन	(01 नग) 751/4 (ओ.बी.सी. हेतु)	83.88 वर्ग मी.	रु. 15.37 लाख
04	म.आ.वर्ग भवन	(01 नग) 719/4	129.20 वर्ग मी.	रु. 27.70 लाख
2सी	उच्च आय वर्ग भवन	(01 नग) 236/2सी	200.00 वर्ग मी.	रु. 40.05 लाख
13	आवासीय भूखण्ड	(01 नग) 13/10ए/1	305.00 वर्ग मी.	रु. 14560/- प्र.व.मी.
खुर्जा योजना				
06	म.आ.व. भवन	(01 नग) 6/116	124.19 वर्ग मी.	रु. 28.55 लाख

नोटः (1) सम्पत्तियों के आवंटन के पश्चात् नियमानुसार कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा। सम्पत्ति जहां है, जैसे के आधार पर आवंटित की जायेगी। (2) कासगंज योजना में फिनिश भवनों में दिनांक 19.08.2013 से 19.09.2013 तक 18/40 प्रकार के 28 नग दुर्बल आय वर्ग, 29/60 प्रकार के 33 नग एल.आई.जी. एवं 45/75 प्रकार के 05 नग मि.म.आ.व. भवनों हेतु खोले गये पंजीकरण के विरुद्ध प्राप्त आवेदकों के मध्य लॉटरी द्वारा उक्त तिथि में पात्रता सूची निर्धारित किया जायेगा। आवेदकों की सूची परिषद् वेबसाइट www.upavp.com पर देखी जा सकती है। किसी भी भिन्नता के लिए संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। (3) सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-4 में स्थित स्टॉफ भवनों से अनारक्षित 05 नग अ.आ.व. भवनों का लॉटरी द्वारा उक्त तिथि में आरक्षण निर्धारित किया जायेगा।

आवश्यक सूचनाः (1) सिकन्दरा योजना, आगरा सेक्टर-3 स्थित सामुदायिक भूखण्ड संख्या-सी.सी.-3/1 में 12.00 मीटर चौड़ी रोड के सामने 6.00 मीटर चौड़ी भूमि (जिसका क्षेत्रफल लगभग 264.60 वर्ग मीटर) पार्किंग स्थल हेतु छोड़ना आवश्यक है तथा यह भूमि कुल क्षेत्रफल में सम्मिलित है। (2) कन्वेनियन्ट भूखण्ड संख्या-12डी/एस-1, एस-2, एस-3 व एस-4 में पार्किंग हेतु ले-आउट में दर्शाई गई भूमि का मूल्य भी आवेदक को स्वीकृत उच्चतम बोली की दर से भुगतान करना होगा। (3) नीलामी संबंधी कार्यवाही हेतु आवेदक 12.00 बजे तक टोकन प्राप्त कर सकते हैं। 12.30 बजे से नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी। अतः आवेदक समय से टोकन प्राप्त कर लें। (4) द्रन्त यमुना द्वितीय चरण, आगरा में स्थित नवविकसित 10 नग व्यावसायिक कम रेजीडेन्सियल भूखण्डों का उक्त तिथि में लॉटरी द्वारा आरक्षण निर्धारित किया जायेगा।

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक सम्पत्तियां

सेक्टर संख्या	सम्पत्ति श्रेणी/प्रकार/सम्पत्ति संख्या	कुल रिवत सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य/आरक्षित मूल्य (फ्री होल्ड सहित) रु. लाख में (प्र.व.मी)
कमलानगर योजना, आगरा				
एफ	दुकानें	(04 नग) एफ-958/6, 958/7, 958/1, 958/8	7.92 से 8.55 वर्ग मी.	रु. 9.42 से 9.90 लाख तक प्रति नग
द्रन्त यमुना प्रथम, आगरा				
	दुकान	(01 नग) बी-15	10.32 वर्ग मी.	रु. 9.22 लाख
सिकन्दरा योजना, आगरा				
3ए	व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग) 3ए/काम-15 (कार्नर)	1350.00 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.
4ए	व्यावसायिक भूखण्ड	(01 नग) ए-काम (कार्नर)	4486.60 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.
4आर	व्यावसायिक भूखण्ड	4आर/कॉम-103, 4आर/कॉम-109 (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	299.40 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.
8	व्यावसायिक भूखण्ड	एस-3/1 (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)	561.12 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.
		एस-3/2 (कार्नर)	480.06 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.
		3/2 (कार्नर)	60.08 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.
		3/3 (कार्नर) (अ.पि.व. हेतु)	105.53 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.
12डी	कन्वेनियन्ट शॉप भूखण्ड	12डी-एस-1 (कार्नर) (ओबीसी)	368.64 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.
		12डी/एस-2 (सामान्य)	243.80 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.
		12डी/एस-3 (एस.सी.)	213.69 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.
		12डी/एस-4 (कार्नर)	186.72 वर्ग मी.	रु. 32032/- प्र.व.मी.
16ए	हेल्थ सेन्टर	16ए/एच-सी-1 (कार्नर)	1037.40 वर्ग मी.	रु. 24024/- प्र.व.मी.
3	सामुदायिक केन्द्र	सीसी-3/1 (कार्नर) (लीज पर)	1266.84 वर्ग मी.	रु. 15730/- प्र.व.मी.
2सी	मल्टीप्लेक्स भूखण्ड	मल्टीप्लेक्स भूखण्ड	8380.80 वर्ग मी.	रु. 29120/- प्र.व.मी.
16	दुकानें	(12 नग) 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16	6.30 से 13.83 वर्ग मी.	रु. 4.63 से 9.58 लाख तक
01	शॉपिंग प्लेटफार्म	(20 नग) 1/एसए-1 (कार्नर), 1/एसए-2, 1/एसए-3, 1/एसए-4, 1/एसए-5, 1/एसए-6, 1/एसए-7, 1/एसए-8, 1/एसए-9, 1/एसए-10, 1/एसए-11, 1/एसए-12, 1/एसए-13, 1/एसए-14, 1/एसए-15, 1/एसए-16, 1/एसए-17, 1/एसए-18, 1/एसए-19, 1/एसए-20,	05.75 से 14.75 वर्ग मी. तक	रु. 29120/- प्र.व.मी.
शिकोहाबाद योजना				
02	कम्प्यूनिटी सेन्टर	2बी/सीसी-1	2460.00 वर्ग मी.	रु. 7260/- प्र.व.मी.
02	हेल्थ सेन्टर	2बी/एचसी-1	3292.50 वर्ग मी.	रु. 11098/- प्र.व.मी.
हाथरस योजना				
03	व्यावसायिक भूखण्ड	(06 नग) 3/1, 3/2, 3/3 (कार्नर), 3/4 (कार्नर), 3/5, 3/6 (कार्नर)	192.50 से 246.38 वर्ग मी. तक	रु. 13552/- प्र.व.मी.
कासगंज योजना				
04ए	संस्थागत भूखण्ड	(02 नग) 4ए/बैंक-1, 4ए/पोस्ट आफिस	800.00 वर्ग मी.	रु. 9240/- प्र.व.मी.
	सामुदायिक केन्द्र	(01 नग) 4ए/सीसी-1 (लीज पर)	2778.13 वर्ग मी.	रु. 6655/- प्र.व.मी.

सामान्य सूचनाः (1) समस्त सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद् आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्ति आवंटन संबंधी आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं नीलामी में भाग लेने के लिए विषयक सील विड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) सम्पत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (4) आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर जो "च.प्र. आवास एवं विकास परिषद्" के पक्ष में संबंधित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र एवं सील विड दिनांक 18.02.2014 को सायं 5.00 बजे तक उपरोक्त पते पर प्राप्त हो जाने चाहिए अथवा नीलामी के समय टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (5) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद् की वेबसाइट <http://www.upavp.com> पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (6) किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। **आवास आयुक्त**

हाथलकरें
टोलफ्री-1800-180-5333
0522-2236803

परिषद् ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए **जनसुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्
104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
website : <http://www.upavp.com>
E-Mail : upavp@sancharnet.in

सेवेत्तम प्रमाणित